माध्यमिक शिक्षा मण्डल मध्यप्रदेश भोपाल

महत्वपूर्ण

☎ : कार्या:– (0755) 2551650, 2761567
निवास:– (0755) 2553377
फैक्स – (0755) 2551499
क्रमांक – 4427 /प.स./10
दिनांक – 26/07/2010

लक्ष्मीकान्त द्विवेदी
आई.ए.एस.
सचिव

विषय :–नियमित छात्रों के लिये प्रवेश नीति निर्देश अकादमिक सत्र 2010–11

प्रिय प्राचार्य,

शैक्षणिक सत्र 2010–2011 का शुभारम्भ 01 अप्रैल 2010 से प्रारंभ किया गया है। माध्यमिक शिक्षा मण्डल की ओर से आपको नये सत्र की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ।

2. इस शैक्षणिक सत्र में नियमित छात्रों के प्रवेश के संबंध में निम्नानुसार नीति–निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

(1) प्रवेश की अंतिम तिथि– कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं में प्रवेश की अंतिम तिथि **31 जुलाई, 2010** होगी। नियमित प्रवेश की समस्त औपचारिकताएँ नियत दिनांक तक सुनिश्चित कर ली जाएँ।

(2) अर्हकारी परीक्षा– (2.1) किसी भी छात्र को 9वीं,10वीं.11वीं अथवा 12वीं की कक्षा में प्रवेश लेना है, तो उसे यथास्थिति क्रमशः 8वीं, 9वीं, 10वीं अथवा 11वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा।

(2.2) वर्ष–2010 में कक्षा 9वीं,10वीं.11वीं एवं 12वीं में प्रथम बार अनुत्तीर्ण छात्र उसी कक्षा में नियमित प्रवेश के लिए पात्र होंगे।

(3) पूरक प्राप्त छात्र– किसी छात्र को वर्ष –2010 में पूरक परीक्षा देनी हो, अथवा किसी कारण से मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हुआ हो तो, उसे अगली कक्षा में प्रावधिक **(Provisional)** प्रवेश की पात्रता रहेगी। पूरक परीक्षा अनुत्तीर्ण होने पर पुनः पिछली कक्षा में प्रवेश स्थानांतरित किया जा सकता है।

(4) अध्ययन अंतराल (gap) की सीमा – ड्राप आउट छात्रों के प्रवेश के लिये अध्ययन अंतराल **(Gap)** 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। अर्थात् यदि किसी छात्र ने 8वीं अथवा 10वीं की परीक्षा वर्ष–2007 में उत्तीर्ण की है, तो उसे यथास्थिति कक्षा 9वीं अथवा कक्षा 11वीं में नियमित प्रवेश सत्र 2010–2011 में लेने की पात्रता होगी।

(5) श्रेणी सुधार– माध्यमिक शिक्षा मण्डल की वर्ष 2009 तथा वर्ष 2010 की 10वीं एवं 12वीं के परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों को ही यथास्थिति 10वीं अथवा 12वीं में श्रेणी सुधार हेतु नियमित प्रवेश की पात्रता रहेगी। अन्य राज्यों के छात्रों को श्रेणी सुधार की पात्रता नहीं होगी।

(6) विषय/माध्यम परिवर्तन

कक्षा 10वीं एवं कक्षा 12वीं में विषय का चयन प्रचलित पाठयक्रमानुसार होना आवश्यक है। एक बार चयन किया गया विषय/माध्यम जो परीक्षा फार्म एवं डाटा शीट/ऑनलाईन से किये गये आवेदन में अंकित है उसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

(7) नियमित छात्रों की कम उपस्थिति

मण्डल की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये छात्र की 60 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। 60 प्रतिशत से कम उपस्थिति वाले छात्र को रू0 20/- अनुमति शुल्क अदा करने पर स्वाध्यायी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(8) स्थानांतरण प्रकरण–

किसी पालक का स्थानांतरण, शैक्षणिक सत्र के बीच में हो जाता है, तो छात्र को संस्था में उस स्थिति में प्रवेश दिया जा सकेगा, जब उस छात्र द्वारा **31 जुलाई, 2010** तक नियमित छात्र के रूप में किसी **मान्यता प्राप्त विद्यालय में प्रवेश ले लिया गया हो। इन प्रकरणों में संस्था परिवर्तन की अनुमति सम्बंधित शाला के प्राचार्य द्वारा 30 नवम्बर, 2010 तक दी जा सकेगी। परिवर्तन की सूचना प्राचार्य तत्काल सचिव,माध्यमिक शिक्षा मण्डल को देगें।**

(9) अन्य राज्यों/बोर्डो के छात्रों का म.प्र. के मान्यता प्राप्त विद्यालयों में प्रवेश–

(9.1) अन्य समकक्षता प्राप्त बोर्ड से स्थानांतरण के कारण ऐसे छात्र जो क्रमशः 9वीं तथा 11वीं की परीक्षा वर्ष 2010 में उत्तीर्ण हों, अथवा ऐसे समकक्षता प्राप्त बोर्ड से वर्ष 2010 की परीक्षा में क्रमशः 10वीं अथवा 12वीं प्रथम बार अनुत्तीर्ण हो, यथास्थिति 10वीं अथवा 12वीं में सीधे प्रवेश ले सकेंगे। ऐसे छात्रों से प्रवेश के समय निम्न दस्तावेज प्राप्त किए जावे अर्थात्:–

1 अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची

2. नामांकन संबंधी आवेदन निर्धारित प्रारूप में

3 ट्रांसफर सर्टीफिकेट

4 अन्य बोर्ड का माइग्रेशन प्रमाण–पत्र

उक्त दस्तावेजों के साथ ग्राहयता शुल्क की रसीद (निर्धारित चालान) संलग्न कर ग्राहयता हेतु संबंधित संभागीय अधिकारी मा.शि.मण्डल को 18 अगस्त 2010 तक किए जा सकेंगे। संभागीय अधिकारी 30.9.2010 तक ग्राहयता के संबंध में निर्णय लेकर दस्तावेज संस्थाओं को वापस करेंगे। ग्राहयता की कार्यवाही संभागीय अधिकारी परीक्षा फार्म भरने से पूर्व सुनिश्चित करेंगे। ग्राहयता का फार्म **परिशिष्ट–1 पर संलग्न है।**

(9.2) जो छात्र अन्य राज्यों के बोर्डो एवं मध्यप्रदेश के अन्य बोर्डो से निर्धारित प्रवेश तिथि 31 जुलाई, 2010 के उपरांत परीक्षा उत्तीर्ण करते हैं, उन्हें उसी सत्र में मण्डल की आगामी कक्षा में प्रवेश की पात्रता नहीं रहेगी। उदाहरण के लिये मध्यप्रदेश राज्य ओपन स्कूल की जून 2010 की परीक्षा के उत्तीर्ण छात्र

2010–11 की आगामी कक्षा में प्रवेश ले सकेगें, किन्तु दिसम्बर 2010 की परीक्षा के उत्तीर्ण छात्रों को इसी सत्र में प्रवेश की पात्रता नहीं होगी।

(10) परीक्षा फार्म शुल्क

मण्डल द्वारा सत्र 2010–11 हेतु निर्धारित परीक्षा शुल्क की जानकारी **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है। संस्था/परीक्षार्थी निम्न माध्यमों से परीक्षा शुल्क जमा कर सकते है :–

(10.1) ऑन लाईन आवेदन एम पी ऑन लाईन की वेबसाइट www.mponline.gov.in के माध्यम से क्रेडिट कार्ड से शुल्क का भुगतान किया जा सकता है।

(10.2) क्रेडिट कार्ड सुविधा उपलब्ध नहीं हो तो निकटस्थ एम पी ऑन लाईन कियोस्क पर जाकर शुल्क एवं पोर्टल चार्जेस का नगद भुगतान कर सकते है।

(10.3) जो छात्र/संस्था एम पी ऑन लाईन के माध्यम से शुल्क जमा नहीं करना चाहते है, तो वे सीधे माध्यमिक शिक्षा मण्डल के कोर बेंकिग खाता क्रमांक 30787920417, 30976571302 एवं 30976571925 में भारतीय स्टेट बैंक से पॉवर ज्योति योजना के अंर्तगत चालान के माध्यम से शुल्क जमा कर सकते है।

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृष्ठांकन क्रमांक /4428/परीक्षा समन्वय/10 भोपाल, दिनांकः 26/ 07/2010

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव/सचिव म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग/आदिम जाति/अनुसूचित जाति, कल्याण विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल मध्यप्रदेश।
2. कमिश्नर, समस्त राजस्व संभाग, मध्यप्रदेश।
3. आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल
4. आयुक्त, आदिवासी विकास, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास, श्यामला हिल्स, भोपाल, मध्यप्रदेश।
6. संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र., भोपाल
7. समस्त कलेक्टर , मध्यप्रदेश।
8. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, मध्यप्रदेश।
9. संयुक्त संचालक, शिक्षा समस्त, मध्यप्रदेश।
10. सहायक आयुक्त ,समस्त आदिम जाति कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
11. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।
12. आंचलिक अधिकारी/समस्त, संभागीय अधिकारी/समस्त सहायक सचिव/कक्षाधिकारी, परीक्षा संभाग।
13. पंजीयक परीक्षा/जनसम्पर्क अधिकारी/विधि अधिकारी/सी.एस.ओ. माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल।
14. निजी सहायक – अध्यक्ष/सचिव/अतिरिक्त सचिव/परीक्षा नियंत्रक/उपसचिव मा0शि0म0 मध्यप्रदेश कि ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
15. प्राचार्य, समस्त मान्यता प्राप्त संस्थाऐं मध्यप्रदेश।
16. संचालक एम पी ऑन लाईन मध्यप्रदेश।

26/7/10
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश,
भोपाल

D:\BSK\samanbay\exam\exam-1011\FINAL pravesh1011.doc- 1-V

परिशिष्ट–1

मण्डल विनियम 122 के अनुसार ग्राह्यता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना–पत्र

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	आवेदक का वर्तमान पता	
4.	जन्म तिथि	
5	आवेदक के पालक का नाम तथा आवेदक का उससे संबंध	

6	**अर्हकारी परीक्षा का विवरण**			
	बोर्ड / विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण कक्षा	उत्तीर्ण वर्ष	विषय
				1.
				2.
				3.
				4.
				5.
				6.

7	**संस्था का नाम एवं कोड कमांक जिसमें प्रवेश चाहते है।**	
	संस्था का नाम	संस्था कोड

दिनांक ..../........../..............   **परीक्षार्थी के हस्ताक्षर** ....

मैं प्रमाणित करता हूँ कि प्रार्थी द्वारा ऊपर दी गई जानकारी मेरे ज्ञान के अनुसार सत्य हैं। छात्र को इस शाला में सत्र .... में कक्षा .... में नियमानुसार अस्थाई प्रवेश दिया गया हैं। ग्राह्यता प्रदान करने हेतु समस्त मूल दस्तावेज संलग्न करते हुये ग्राहयता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती हैं।

शाला का कोड ....

हस्ताक्षर प्राचार्य
पद मुद्रा

शिक्षण सत्र 2010–2011 के लिए
निर्धारित शुल्क

हाईस्कूल परीक्षा हेतुः–

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क (नामांकन,अंकसूची शुल्क, प्रायोगिक शुल्क)	नियमित एवं स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय)	500/–

हायर सेकेण्डरी परीक्षा हेतुः–

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	परीक्षा शुल्क (नामांकन अंकसूची शुल्क, प्रायोगिक शुल्क)	नियमित एवं स्वाध्यायी (संपूर्ण विषय) संपूर्ण विषयो के साथ (एक विषय) अतिरिक्त केवल एक विषय अतिरिक्त	500/– 150/– 150/–

अन्य शुल्क :–

1. ग्राहयता शुल्क (अन्य बोर्ड से आये छात्रों हेतु) — 200/– रूपये
2. परीक्षा केन्द्र परिवर्तन शुल्क — 100/– रूपये
3. विषय/माध्यम/संकाय परिवर्तन (प्रति विषय) शुल्क — 100/– रूपये
4. अग्रेषण शुल्क स्वाध्यायी छात्रों हेतु — 15/– रूपये
5. हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी कोरी डाटाशीट/आवेदन पत्र(नियमित/स्वाध्यायी) — 30/– रूपये

हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी/हायर सेकण्डरी व्यावसायिक/डी एड (द्वितीय अवसर) पूरक परीक्षा

स. क्र.	विवरण	प्रकार	निर्धारित शुल्क रूपये
1	हाईस्कूल/हायर सेकण्डरी	नियमित एवं स्वाध्यायी (प्रति विषय)	150/–
2	हायर सेकण्डरी व्यावसायिक /डी एड (द्वितीय अवसर)	प्रति विषय	200/–

26/7/10

(लक्ष्मीकान्त द्विवेदी)
सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल,मध्यप्रदेश
भोपाल